विषय: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलरशिप योजना (रा इ नि लि-आर डी एस)

उद्देश्य:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के इस्पात उत्पादों के लिए स्पॉट बाजार तथा भविष्य बाजार का सृजन करना;
2. बृहत ग्रामीण बाजार में उत्पादों के बढ़ावा के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की उपलब्धता;
3. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु अपने उत्पादों को उपलब्ध करते हुए एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में कम्पनी की प्रतिष्ठा बढ़ाना; और
4. वृद्धि के साथ व्यापार का बढ़ावा|

परिधि:

5. यह योजना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलरशिप योजना (रा इ नि लि-आ डी एस) के रूप में जाना जाएगा और यह योजना मौजूदा खुदरे व्यापारी, परेषण अभिकर्ता, परेषण बिक्री अभिकर्ता तथा जिला स्तरीय डीलरों के अलावा प्रत्येक के लिए उपयोगी है| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ग्रामीण डीलरों की पंजी हेतु प्रोत्साहन देना|

स्थान:

6. ग्रामीण डीलरों को जिलों के ब्लॉक व पंचायती स्तर के स्थानों में पंजी कर सकते हैं| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर को जिला मुख्यालय, मेट्रोपोलिटन शहरों, नगरों आदि में पंजीकृत नहीं किया जाएगा| एक स्थान में ग्रामीण डीलरों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है|

उत्पाद:

7. साधारणतः, विविध आकार के टी एम टी सरिया, वॉयर रॉड आदि इस योजना के अधीन समाविष्ट होंगे|

गुणवत्ता:

8. ग्रामीण डीलर एक महीने में एकल या बहुल ट्रक लदाई के आधार पर अधिकतम 100 टन टी एम टी रीबार्स, वॉयर रॉड आदि जैसे इस्पात के उत्पादों को खरीद सकते हैं| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड उपलब्धता के आधार पर इस मात्रा की आपूर्ति करेगी| पंजीकरण के प्रारंभ में या वित्त वर्ष के प्रारंभ में यदि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर द्वारा उनकी इच्छा प्रकट करने पर अतिरिक्त मात्रा तथा उत्पादों की आपूर्ती की जाएगी|

पंजीकरण:

9. पंजीकरण की अवधि प्रारंभ में दो वर्षों के लिए होगी, जिसे परस्पर स्वीकृति के आधार पर नवीकरण किया जा सकता है| ग्रामीण डीलर के रूप में पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की जरूरत नहीं है|
10. डीलर कोई अनुचित कार्य किए जाने पर या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के इच्छा के विरुद्ध कार्य किए जाने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा|

मूल्य:

11. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के एक्स-स्टॉक यार्ड/एक्स-संयंत्र में वितरण की तारीख को लागू मूल्यों के अनुसार सामग्री खरीद सकते हैं| भुगतान अग्रिम भुगतान के आधार पर होगी और देय योग्य राशि को डिमांड ड्राफ्ट/डाक आदेश/बैंकर का चैक/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रूप में नियंत्रण शाखा के स्थान पर अदा करना होगा|
12. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड - ग्रामीण डीलर सामग्री को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा बतायी गयी अधिकतम सिफारिश खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य पर सामग्री नहीं बेचेंगे| नियंत्रण शाखा द्वारा घोषित अधिकतम सिफारिश खुदरा मूल्य होगा और बिक्री कर/वेट; चुंगी शुल्क आदि स्थानीय शुल्क लागू होंगे|
13. जिला के अन्तर्गत सभी स्थानों में अधिकतम सिफारिश खुदरा मूल्य एक होंगे|
14. अपने बिक्री परिसर में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड - ग्रामीण डीलर को विशिष्टतः अधिकतम सिफारिश खुदरा मूल्य को प्रदर्शन करने की जरूरत है|

उत्पाद तथा ब्राण्ड का बढ़ावा:

15. ग्रामीण डीलर एक बार कम से कम 50 टन के साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर योजना के अधीन जुड़ने पर व्यापार की बढ़ौत्तरी की सामग्री उपलब्ध करने या "राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वाइजाग स्टील – प्राइड ऑफ स्टील" का प्रदर्शन करनेवाला प्रदर्शन पट्ट की लागत अदा करने के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विचार करेगा|
16. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा अपने व्यापार को और ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण डीलरों के स्थान में बिल बोर्ड/होर्डिंग्स (एक या दो) के रखने पर भी विचार किया जा सकता है|

गुणवत्ता:

17. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर को आपूर्ति की गयी सामग्री के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जाँच प्रमाणपत्र भी उपलब्ध करेगा| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर अपने ग्राहकों को जाँच प्रमाणपत्र की प्रतियाँ उपलब्ध कर सकता है| गुणवत्ता से सम्बन्धित कोई शिकायतें हो तो, प्रचलित गुणवत्ता शिकायत तरीके से निपटायी जाएँगी|

पद्धति:

18. पञ्जीकरण लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है और पञ्जीकरण के लिए आवेदन भेजने हेतु कोई अन्तिम दिन नहीं है|
19. पञ्जीकरण के लिए आवेदक का चयन शाखा स्तर पर दो सदस्यों की समूह द्वारा किया जाता है| सम्बद्ध वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा पञ्जीकरण का अनुमोदन किया जाएगा|
20. दो सदस्यी समूह इस योजना के अधीन पञ्जी करने के लिए जिलों के ब्लॉक और पञ्चायती स्तर के स्थानों का दौरा करने तथा मौजूदा इस्पात/सिमेंट/हार्डवेयर व्यापारियों या अन्यों से मिल सकते हैं|
21. इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएँ पञ्जीकरण के लिए सीधे सम्बद्ध वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर सकते हैं|
22. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर योजना के आवेदक को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ग्रामीण डीलरशिप लेने के लिए वह वित्तीय रूप से सक्षम है|
23. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – ग्रामीण डीलर के रूप में चुने गए आवेदक को सम्बद्ध वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक पञ्जीकरण* का प्रमाणपत्र जारी करेगा| ग्रामीण डीलर द्वारा अपने परिसर में उस प्रमाणपत्र का प्रदर्शन किया जा सकता है|

    * पञ्जीकरण का विपणन के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र पूर्व-छापी गयी स्टेशनरी पर ही जारी किया जाता है|

24. ग्रामीण डीलर के बिक्री और भण्डार परिसर में पोस्टर/इस्पात का विज्ञापन सिर्फ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का ही होगा|
25. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-ग्रामीण डीलर को **पञ्जीकरण के दौरान** निम्नलिखित मदों के प्रति **(अंग्रेजी में या अपनी देशी भाषा में)** वचन प्रस्तुत करना होगा|

    अ) मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ पञ्जीकृत परिसर/पता जिस नाम से है, उसी नाम से अन्य कोई इस्पात उत्पादक/विनिर्माता के साथ प्रचालन नहीं करेंगे|

    आ) मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि कथित परिसर में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों के लिए ही सम्पर्क करेंगे|

    इ) मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस डीलरशिप के अधीन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित अधिकतम सिफारिश खुदरा मूल्य के अनुसार ही उत्पादों को बेचते हैं|

    ई) मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस डीलरशिप के अधीन ग्रामीण प्रदेशों के निर्धारित ब्लॉक/पञ्चायत सीमाओं के अन्तर्गत ही उत्पादों को बेचते हैं|

    उ) मैं/हम स्पष्ट रूप से समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे कार्य से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की अभिव्यक्ति के प्रति क्षति या हानिकर पाए जाने पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को पञ्जीकरण का रद्द करने का पूर्ण अधिकार है|

ऊ) अगर कोई विवाद उठने पर, मैं/हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ परस्पर चर्चाओं के माध्यम से उसे निपटाऊँगा/निपटाएँगे|

ॠ) मैं/हम सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करूँगा/करेंगे तथा मैं/हम इसके संबंध में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के किन्हीं देयताओं की क्षतिपूर्ति करूँगा/करेंगे|